न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00368RAAJodhpur2018-152RTA223 Bhanwarlal Vs Sohanlal etc

भंवरलाल पुत्र श्री भागीरथराम, जाति विश्नोई, निवासी- छितरबेरा, भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सोहनलाल पुत्र श्री मोहनराम
2. बुधाराम पुत्र श्री मोहनराम
3. गोपीलाल पुत्र श्री मोहनराम
4. राकेश पुत्र श्री मोहनराम
5. हरलाल पुत्र श्री सुरजनराम के कायम मुकामः -
   5.1. जसूराम पुत्र श्री हरलाल
   5.2. बागाराम पुत्र श्री हरलाल
   5.3. पप्पूराम पुत्र श्री हरलाल
   5.4. अन्नी पत्नी हरलाल
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- छीतर बेरा, भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजनराम
7. बंशीलाल पुत्र सुरजनराम के कायम मुकामः -
   7.1. खेमाराम पुत्र बंशीलाल
   7.2. सुरेश पुत्र बंशीलाल
   7.3. हजारी पुत्र बंशीलाल
   7.4. रामस्वरूप पुत्र बंशीलाल
   7.5. पतासी पुत्री बंशीलाल
   7.6. पुष्पा पुत्री बंशीलाल
   7.7. नेनी पुत्री बंशीलाल
   7.8. श्यामा पुत्री बंशीलाल
   7.9. मीरा पत्नी बंशीलाल
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- छीतर बेरा, भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

31.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 133/2018 सोहनलाल बनाम बुधाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो से चार
श्री भानू, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5/1 से 5/4
श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 31 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 133/2018 सोहनलाल बनाम बुधाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 जून 2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 691 रकबा 70 बीघा 19 बिस्वा, खसरा न. 688 रकबा 70 बीघा ग्राम छितर बेरा के संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जून 2018 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक

30.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री जारी तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 20 जुलाई 2018 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री में एक ही पक्षकार होने के कारण तथा एक ही वाद से संबंधित होने के कारण अलग-अलग अपील प्रस्तुत नहीं कर एक साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अपील साथ प्रस्तुत करने की अनुमति अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयॉ पारित की है जो विधिक रूप से तामील नहीं करवाये जाने के कारण कार्यवाही आदेश 5 सीपीसी के नियमों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। वादी ने स्वयं की खरीदसुदा भूमि के बेचाननामे में दर्ज आस-पड़ौस के विपरीत जाकर बंटवाड़ा मांगा है, जो उनके कब्जे काश्त व मौके की स्थिति के विपरीत होने के कारण भी अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव नियमानुसार तैयार नही किया गया है। इस कारण भी बंटवाड़ा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयण में उपरोक्त वाद में अपीलार्थी पर सम्यक तामील नहीं करवायी गई। वर्तमान में

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 24.09.2018 को प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा जमीन की तरमीम करवा लेने की धमकी दी और कहा कि विचारण न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला हो गया, अब आपको काश्त नही करने देंगे। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2018 को फलोदी आकर नकल हेतु आवेदन करवाया जो नकल तैयार होकर दिनांक 25.09.2018 को प्राप्त हुई, जसे पढने पर प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलार्थी ने जानबूझ कर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 133/2018 सोहनलाल बनाम बुधाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 जून 2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 को खारिज फरमाया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधि अनुसार निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. संख्या एक से चार ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्यक रूप से तामील करवायी गई, जिसके बावजूद भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हक-हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं

31.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का मिथ्या कारण बतलाया है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पो. संख्या पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया एवं वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2018 को वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.06.2018 नियत की गई। उक्त तारीख पेशी तक न तो प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किये गये और न ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वाद विचारण की प्रक्रिया का पालन किये बिना ही दिनांक 29 जून 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी तथा उसी दिन वादी

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से संशोधित वाद प्रस्तुत हुआ, जिसे भी प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार फलोदी से बाई मिट्स एवं बाउंण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया तथा कोई आगामी पेशी नियत नहीं की गई।

तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्र क्रमांकः राजस्व/2018/1221 दिनांक 19.07.2018 के जरिये विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी भोजासर से तैयार करवाकर मूल विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय को विभवाया गया। जिससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम {राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना किये बिना भू-अभिलेख निरीक्षक भोजासर एवं पटवारी हल्का भोजासर द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है, जिसे नियमानुसार नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 जून 2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने तथा विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 133/2018 सोहनलाल बनाम बुधाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29 जून 2018 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जुलाई 2018 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस

31-8-2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब प्रस्तुत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा मृतक रेस्पोडेंट्स के विधिक प्रतिनिधियों सहित उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करे तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना हेतु तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि॰ 31.8.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर